न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 73/2019

1. देवकरण पुत्र रामकुमार जाति जाट, निवासीगण ग्राम इण्डाली, तहसील व जिला झुझुनू।
2. राजेश पुत्र रणवीर सिंह जाति जाट, निवासीगण ग्राम इण्डाली, तहसील व जिला झुझुनू।
3. लीलाधर पुत्र श्योबक्स जाति जाट, निवासीगण ग्राम इण्डाली, तहसील व जिला झुझुनू।
4. वेदप्रकाश पुत्र श्योबक्स जाति जाट, निवासीगण ग्राम इण्डाली, तहसील व जिला झुझुनू।
5. सरबती पुत्री देशराज जाति जाट, निवासीगण ग्राम इण्डाली, तहसील व जिला झुझुनू।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट

––

अपील अ.धा. 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ आदेश दिनांक 06.06.2018 बाबत नामान्तरण सं. 704 ग्राम इण्डाली बाबत हाल खसरा नं. 740 व 741 वाके ग्राम इण्डाली

––

उपस्थित :–

1. श्री रवि कुमार, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 22.02.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 06.06.2018 नामान्तरकरण संख्या 704 वाके ग्राम इण्डाली के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र मियाद दफा 5 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार जमीन हाल खसरा नं0 740 व 741 ग्राम इण्डाली तहत तहसील झुझुनू में स्थित है। अदालत मातहत के बिना किसी सक्षम आदेश के नामान्तरण सं0 704 में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 06.06.2018 के जमीन हाल खसरा नं. 740 व 741 की पश्चिम सीमा के पास से 0.06 है0 जमीन का गैर मुमकिन रास्ता कायम कर दिया तथा रास्ता का इन्द्राज नक्शाट्रेस में कर दिया तथा जमाबन्दी में रकबा कम कर दिया। अदालत मातहत तहसीलदार झुझुनू द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिंनाक 06.06.2018 बाबत नामान्तकरण सं. 704 ग्राम इण्डाली खिलाफ कानून, तथ्य एवं न्यायाधीन है। अपीलान्टस की सहखातेदारी की जमीन हाल खसरा नं. 740 व 741 ग्राम इण्डाली में से रास्ता कायम करने बाबत कोई सक्षम आदेश नही है। बिना सक्षम आदेश के तथा अपीलान्टस को बिना

जिला कलक्टर झुंझुनूं

सुने उनकी खातेदारी की जमीन कम करके रास्ता नक्शाशीट में गलत रूप से कायम कर दिया जो प्राकृतिक न्याय से सिद्धान्त के विरूद्ध है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2018 बाबत नामान्तकरण सं0 704 ग्राम इण्डाली निरस्त किया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत तहसीलदार झुझुनू द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 06.06.2018 बाबत नामान्तकरण सं0 704 ग्राम इण्डाली खिलाफ कानून, न्याय एवं पत्रावली है। अपीलान्टस की सहखातेदारी की जमीन हाल खसरा नं. 740 व 741 ग्राम इण्डाली में से रास्ता कायम करने बाबत कोई सक्षम आदेश नही है। बिना सक्षम आदेश के तथा अपीलान्टस को बिना सुने उनकी खातेदारी की जमीन कम करके रास्ता नक्शाशीट में गलत रूप से कायम कर दिया जो प्राकृतिक न्याय से सिद्धान्त के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2018 बाबत नामान्तकरण सं0 704 ग्राम इण्डाली निरस्त किया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने वकील अपीलान्ट के तर्कों का विरोध कर कथन किया कि विवादित भूमि के कम मे अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के आदेश की पालना में दर्ज हुआ है। जो सही है एवं बाद जांच के भरा गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 704 दिनांक 06.06.2018 को उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के आदेश की पालना में दर्ज हुआ है। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा "न्याय आपके द्वार 2018" के अन्तर्गत प्रचलित रास्तों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु राजस्व ग्राम इण्डाली के ग्राम इण्डाली से खतेहपुरा जाने वाले रास्ते खसरा नम्बर [illegible] लगायत 673, 676, 687, 736, 1009 तथा 742 की बाबत आदेश पारित किया है। अपीलान्टस का तर्क है कि अदालत मातहत ने उक्त खसरा नम्बरान के अलावा अपीलान्टस के खेत खसरा नम्बर 740 व 741 में रास्ते का अंकन कर दिया। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के आदेश तथा रिकार्ड के अवलोकन से अपीलान्टस के तर्क सही है। अदालत मातहत ने बिना आदेश के खसरा नम्बरान का अंकन नामान्तरकरण में दर्ज कर दिया है। उक्त तर्को के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 704 पर पारित आदेश दिनांक 06.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के आदेश को ध्यान में रखते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। रिकार्ड मातहत निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मियाद गुजरने पर एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/02/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं